

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। का इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

दि. 20.09.18 को क्षेत्र निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम
भीष्ट अंकित है।

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत

है। सहमत सिवाय बिन्दु क्र. 09 में दी गयी जानकारी के निरीक्षण में

यात हुआ कि बिना प्रत्यावर्तन प्रकरण रवीकृति के कार्य पर प्रारंभ प्रारंभ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष
सिफारिशें।

रवीकृति की अनुव्याप्ति की जाती है।

दिनांक :- 24.09.18

स्थान :- रायपुर

हस्ताक्षर

(Arun Kr. Pandey IFS)
Chief Conservator of Forests
Raipur Circle, Raipur (C.G.)

निरीक्षण टीम :-

दि. 20.09.18 को क्षेत्र निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान
यह पाया गया कि मार्ग की लगभग पूरी खंडाई में formation width 10.00m
(7.0 Mt. Black top + 3 Mt. shoulder on both sides) में मिट्टी, मुख्य रूप से खन
कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मार्ग में प्रस्तावित स्थलों पर वनक्षेत्र में
सभी फुल्ले का मिश्रण कर लिया गया है, तथा 2 दृष्टियों पर खनाना
wall मिश्रण वनक्षेत्र में चला रहा पाया गया। निरीक्षण के दौरान वरम
धमतरी तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा SDO PWD Sh. R.R. Sanyal
व Anuj Mohabey & Neelkanth Sahu Sub-engineer PWD उपस्थित थे। श्री
के इस बताया गया कि पूरे खंडाई में कार्य करने हेतु कार्यरत जारी
करने के कारण गत 8-9 माह से वनक्षेत्र में कार्य प्रारंभ है। बिना
वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण रवीकृति के कार्य प्रारंभ करने के कारण इस
कार्यलय के पत्र क्र. 17129 दि. 24.9.18 इस वरम अधमतरी को
वैधानिक कार्यवाही अवतार में निहित किया गया है।

(Arun Kr. Pandey IFS)
Chief Conservator of Forests
Raipur Circle, Raipur (C.G.)